AE/S/ 8700

संख्या : 2047/ ।।(1)–2017–01(128)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक-1)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
डायरी संख्या 276-63
दिनांक 27/01/18

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई अनुभाग–1,

देहरादून, दिनांक : 01 जनवरी 2018

विषय: सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता पद के वेतनमान को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–220/XXVII(7)/50(16)/2014टी0सी0, दिनांक 31.10.2017 **(प्रति संलग्न)** के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 (छठे वेतन आयोग के अनुसार) पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन मैट्रिक लेवल–12 के स्थान पर वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 (छठे वेतन आयोग के अनुसार) वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 (₹ 118500–214100) में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। (123100–215900)

2– उक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–906/XXVII(7)/2017 दिनांक 26.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : /।।–2017–01(128)/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
7– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग।
8– वित्त अनुभाग–7/2, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9– निदेशक, वित्त एवं पेंशन, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

27/1/18
25/1/18

संख्या 220/XXVII(7)50(30)/2016।

प्रेषक

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 3 / अक्टूबर, 2017

विषय: वेतन समिति को सन्दर्भित प्रकरणों पर समिति से प्राप्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति को सन्दर्भित प्रस्ताव, जिसमें भारत सरकार में अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8700 में उच्चीकृत होने के दृष्टिगत राज्य में भी अभियन्त्रण विभागों में सृजित अधीक्षण अभियन्ता का वेतनमान तदनुसार उच्चीकृत किए जाने की माँग की गई, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों/संबंधित कर्मचारी संगठन के साथ हुए विचार-विमर्श तथा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा भारत सरकार से पूर्व स्थापित समरूपता के आधार पर अभियन्त्रण विभागों में सृजित अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 7600 को वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8700 में उच्चीकृत किए जाने की संस्तुति की गई है।

3. शासन द्वारा समिति की संस्तुति को स्वीकार किए जाने के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित प्रकरण पर वेतन समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुति के क्रियान्वयन हेतु विभागीय आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जायें। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक-1)
सिंचाई विभाग, ..., देहरादून
डायरी संख्या 210-09
पत्रावली सं.
दिनांक 2-2-18

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग

संख्या– — / ।।(1)–2018–01(128)/2017
देहरादूनः दिनांक, 01 ~~जनवरी~~ फरवरी 2018

शुद्धि पत्र

वित्त विभाग (अनुभाग–07), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 165, दिनांक 12.09.2017 के द्वारा ग्रेड वेतन 8700 हेतु निर्धारित वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 वेतनमान ₹ 118500–214100 में संशोधन करते हुये वेतनमान ₹ 123100–215900 अंकित किया गया है।

2– अतः उक्त के कम में शासनादेश संख्या 2047, दिनांक 01.01.2018 के प्रस्तर 1 के पंक्ति संख्या 07 में अंकित मैट्रिक्स लेवल 13 में वेतमान ₹ 118500–214100 के स्थान पर ₹ 123100–215900 पढ़ा जाय।

3– उपरोक्त शासनादेश संख्या **2047**/।।(1)–2017–01(128)/2017 दिनांक 01.01.2018 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 162 /।।(1)–2018–01(128)/2017 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
7– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग।
8– वित्त अनुभाग–7/2, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9– निदेशक, वित्त एवं पेंशन, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

SSO K-1
3/2/18
3/2/18

संख्या : 326 / ।।(1)–2017–01(128)/2017

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक-1)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
आवती संख्या 2112-342
पत्रावली सं.......
दिनांक 04/05/18

सिंचाई अनुभाग–1,

देहरादून, दिनांक : 02 मई, 2018

विषयः सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता पद के वेतनमान को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/।।(।)–2017–01(128)/2017, दिनांक 01.01.2018 तथा तत्सम्बन्ध में शुद्धि पत्र संख्या–162/।।(।)–2017–01(128)/2017, दिनांक 01.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– सिंचाई विभाग में सृजित अधीक्षण अभियन्ता के पद का उच्चीकृत वेतनमान निर्धारण के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 (छठे वेतन आयोग के अनुसार) पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन मैट्रिक लेवल–12 के स्थान पर वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 (छठे वेतन आयोग के अनुसार), वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 (₹123100–215900) का लाभ वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–15/XXVII(7) /50(16)/2014टी0सी0, दिनांक 24.01.2017 तथा शासनादेश संख्या–220/XXVII(7)/30(07)/2017, दिनांक 12.09.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य किया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व स्थापित समरूपता के आधार पर सिंचाई विभाग में सृजित अधीक्षण अभियन्ता के पद का उपरोक्त उच्चीकृत वेतनमान भी वित्त विभाग के शासनादेश निर्गत होने की तिथि 31.10.2017 से ही अनुमन्य किया जायेगा।

SSOK-1 Cpy to all CEs

प्रमुख अभियन्ता
3/5/18

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

क्रमशः–2–

G:\All drive Data\d Mall g\9 AA Mall g\Wetanman (ACP)2010-14\G O WETANMAN 2010-15.doc Landscap Work

संख्या : — / ।।—2016—01(२८)/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
7— वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग।
8— वित्त अनुभाग—7/2, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9— निदेशक, वित्त एवं पेंशन, उत्तराखण्ड।
10— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांकः—शा0—342/प्र0अ0/सि0वि/का0—1/ —1 दि0:—05 मई, 2018

उत्तराखण्ड शासन सिंचाई विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0—326/।।(1)—2017—01(128)/2017, दिनांक 02.05.2018 की छायाप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर—1/स्तर—2, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी/देहरादून/हरिद्वार/श्रीनगर/अल्मोड़ा/रूड़की।
2. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सुभाष चन्द)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक—।)
कृते प्रमुख अभियन्ता
5/5/18

D/naithani sir/general letter (Autosaved)